रजिस्टर्ड
चिकित्सा प्रतिपूर्ति
1/2024/33-1099/87/2024

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक अप्रैल, 2024

विषय- स्व0 अमर सिंह, सफाई कर्मी, जनपद - जालौन की चिकित्सा प्रतिपूर्ति ₹6,22,738/- (रुपये छः लाख बाईस हजार सात सौ अड़तीस मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या - 2/4906/2023-2/23/2020 दिनाँक 06.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन के पत्र संख्या-1977/पंचा0/सात/स्था0-2/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2023-24 दिनाँक 14.10.2023 के साथ संलग्न मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख एवं व्यय बाउचर्स मूलरूप में शासन को भेजते हुये स्व0 अमर सिंह, सफाई कर्मी, जनपद जालौन की चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनराशि ₹6,22,738/- (रुपये छः लाख बाईस हजार सात सौ अड़तीस मात्र) की शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्पष्ट रूप से संस्तुति की गयी है।

2- उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरांत स्व0 अमर सिंह, सफाई कर्मी, जनपद जालौन की चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनराशि ₹6,22,738/- (रुपये छः लाख बाईस हजार सात सौ अड़तीस मात्र) की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(i) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्व0 अमर सिंह, सफाई कर्मी, जनपद जालौन को यदि कोई चिकित्सा अग्रिम पूर्व में स्वीकृत किया गया है तो उसका समायोजन कर लिया जाय।

(ii) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 प्रश्नगत चिकित्सा दावे का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्व0 अमर सिंह, सफाई कर्मी, जनपद जालौन को उपचार के व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति किसी अन्य माध्यम से नहीं की गयी है एवं संबंधित दावे का भुगतान प्रथम बार ही किया जा रहा है तथा उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

(iii) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में इंगित इलाज की अवधि से भिन्न तिथियों के बिलों का भुगतान न किया जाय।

(iv) प्रश्नगत धनराशि की शुद्धता के संबंध में निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 स्वस्तर पर संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) प्रश्नगत चिकित्सा दावे के किसी भी प्रकार के भुगतान के पश्चात निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा आख्या सुसंगत अभिलेखों सहित शासन को 02 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के "अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2515001011401-सफाई कर्मचारी के मानक मद-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- आपके पत्र संख्या-2/4906/2023-2/23/2020 दिनाँक 06.11.2023 के साथ संलग्न समस्त बिल/बाउचर/अभिलेख एवं अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न हैं।

संलग्नक : यथोक्त (मूलरूप में)।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2024/33-1099/87/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- उप निदेशक (पं0), झाँसी मण्डल, झाँसी।
5- कोषाधिकारी, जालौन।
6- जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
7- श्रीमती राजकुमारी माता स्व0 अमर सिंह, सफाईकर्मी, जनपद-जालौन।
8- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।